(ई–मेल एवं व्हाटस एप्प से भी प्रेषित)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल।

पत्रांक **768** दिनांक **31.05.2021**

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल।

सेवा में ,

M/S R.N.S PROJECT,
C/O – Raj Narayan Singh,
Add-At-Agarwa Gali No-1,
Hospital Chowk, Motihari, East Champaran.
Mo. No. 9470420900
Aggrement No. 14 S.B.D Year 2018-19
Reg. No. 1190351

विषयः– G.T.S.N.Y अन्तर्गत **Chainpur to PMGSY Pakariya Ranipur.** पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 1623 अनु0 दिनांक 22.12.2020, पत्रांक 283 दिनांक 26.02.2021, पत्रांक 290 दिनांक 26.02.2021, पत्रांक 351 दिनांक 08.03.2021, पत्रांक 400 दिनांक 15.03.2021

महाशय्

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासगिक पत्रों के संबंध में काफी खेद के साथ पुनः स्मारित करना है कि इस कार्यालय के विभिन्न कार्यालय आदेश एवं अनेको बार दूरभाष पर तथा मौखिक रूप से भी अनुरक्षण कार्य कराने हेतु निदेश दिया जाता रहा है, परन्तु आपके द्वारा G.T.S.N.Y अन्तर्गत **Chainpur to PMGSY Pakariya Ranipur.** पथ में वार्षिक अनुरक्षण कार्य कराने में गंभीरता नहीं दिखाई गई। आपके इस स्वेच्छारिता के कारण सरकार द्वारा राशि प्रदत करने के बावजूद भी आम आवाम को कष्ट उठाना पड़ रहा है।

अतः तीन दिनों के अन्दर हर हाल में अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराते हुए इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे कि अनेको स्मार पत्र, मौखिक एवं दूरभाष पर दिये गए निदेश के बावजुद अब तक अनुरक्षण कार्य क्यों नहीं पूर्ण किया गया। इस संबंध में स्पष्टीकरण अप्राप्त या अस्वीकार्यता की स्थिति में एकरारनामा के सुसुंगत कंडिकाओं Clause Of Contract के Clause -3 के तहत Defect Libiliti Period के नोटिश के बाद भी पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण आपके एकरारनामा को विखंडित करते हुए आपके निबंधन को काली सूची में डालनें की कारवाई की जाएगी एवं आपके जमानत की राशि को जब्त करते हुए उस राशि से अनुरक्षण का कार्य कराया जाएगा।

इसे अति गंभीरता से लेंगे।

विश्वासभाजन,
31/5/21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल।

Scanned with CamScanner